न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/214/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/510

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री हरिनारायण पुत्र श्री बूलीराम, निवासी–ग्राम–हाजीपुर डडीकर, अलवर (राज.)–301001 **हाल L-1st ,2073/20, गली नं.8, अस्थल मन्दिर रोड, संगम विहार, नई दिल्ली–110080**		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 15.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 18.08.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक: 15.09.2020 की घटना के विषय में डाली गई RTI दिनांक: 26.10.2020 एवं अन्य प्रा0पत्र दिनांक: 18.08.2021 के संबंध में की गई कार्यवाही बाबत सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 10.12.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को सूचना/विनिश्चय–पत्र प्रेषित करते हुए पत्र सं. 95 दिनांक: 18.01.22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रति पृष्ठाकित की है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है जिसके अनुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र सं. 233 दिनांक: 11.01.2021 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, अलवर को लिखा गया है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांक: 18.08.21 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील इस न्यायालय को पेश होने उपरान्त सूचित किया है जो उचित नहीं है। प्रभारी अधिकारी, न्याय प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर द्वारा RTI आवेदन दिनांक: 18.08.2021 के क्रम में जारी यू.ओ. नोट सं. 202 दिनांक: 06.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 217 दिनांक: 17.01.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है जो काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित किया जावे।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही बाबत अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक, अलवर कार्यालय में संपर्क स्थापित करे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी, न्याय प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को भी पालनार्थ प्रेषित हो।
12. आज दिनांक: 01.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर